न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:–315/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00014)

01. रामपत्ती पत्नी स्व. श्री अमर चन्द,
02. कंचन शर्मा पुत्री स्व. श्री अमर चन्द, समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. भगवती प्रसाद,
02. अशोक कुमार पि. श्री लक्ष्मीनारायण,
03. हिमान्शु,
04. उमेश पि. श्री नाथूलाल नाबालिंग जरिये संरक्षक पिता लक्ष्मीनारायण,
05. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री छीतरमल,
06. नाथूलाल पुत्र स्व. श्री छीतरमल, समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
07. श्रीमती धापू देवी पुत्री स्व. श्री छीतरमल पत्नी श्री सत्यनारायण, जाति ब्राहम्ण गांव ब्राहाम्ण निवासी कस्बा फागी, जिला जयपुर।
08. मदन लाल,
09. गोपाल,
10. मुन्ना पुत्रान श्री ग्यारसीलाल निवासी ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. तहसीलदार, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 17.01.2012 (प्रकरण संख्या 341/11) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स की पुस्तैनी कृषि भूमि ग्राम सीतापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित रही है तथा अपनी भूमिया एक ही स्थान पर इकजाई करने के लिऐ स्व. छीतरमल ने अपनी पुस्तैनी भूमि में से कुछ भूमि विक्रय की तथा उस पैसे से अपने पास ही भूमि क्रय कर ली, जब स्व. छीतरमल वृद्ध तथा असहाय हो गये तथा अपने पुत्रों पर आश्रित हो गये तो उक्त भूमि में से अधिकाशः भूमि को स्व. श्री छीतर की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय राशि से स्व. छीतर मल के नाम राजपुरा उस्ता तहसील बस्सी व चाकसू में कृषि भूमि क्रय की तथा सीतापुरा व आस–पास आवासीय भूमि क्रय की। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट्स स्व. छीतरमल के सबसे छोटे पुत्र स्व. अमरचन्द की पत्नी व पुत्री है, स्व. छीतरमल के दोनों बडे पुत्र लक्ष्मीनारायण व नाथूलाल पढ़े लिखे चालक व बदानेयतियुक्त व्यक्ति है, इन दोनों ने स्व0. अमरचन्द के हिस्से को हड़पने के लिए कई प्रकार

अपने नाम प्लॉट खरीदकर मकानात बना लिये है, स्व. छीतरमल ने जो प्लॉट अपीलान्ट के नाम क्रय किये उनके भी कागज अपने पास दबाऐ हुऐ है तथा शेष राशि में से ऐशो–आराम कर रहे है, फर्जी व अवैध कार्यवाही द्वारा अपीलान्ट्स को पुस्तैनी मकानात से भी निकालने को प्रयास कर रहे है तथा इसके लिऐ वृद्ध माता–पिता से मिथ्या॰ व बदनियतिपूर्ण कथनों का सहारा लेकर सिविल न्यायालय में दावा चला रखा है, अपीलान्ट्स का हक छीनने के लिऐ अपीलान्ट्स के साथ मारपीट व दुव्यवहार करते आऐ है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने अपने वृद्ध माता–पिता से अपने पुत्रों के नाम एक फर्जी वसीयत भी तैयार करा ली तथा उस वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स का हिस्सा हड़पने के लिऐ प्रारम्भ से ही प्रयास करते आये है इसी वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स ने बस्सी तहसील में स्थित भूमि अपने नाम कराने का प्रयास किया तथा इस हेतु फौती नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 06.06.2005 को प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी जयपुर के न्यायालय में दायर की जहॉं अपील खारिज होने पर संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 93/05 पेश की, जो न्यायालय श्रीमान् के निर्णय दिनांक 19.06.2006 द्वारा खारिज कर दी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने चाकसू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 11136, 11137, 11138, 11142, 11143 कुल किता 5 कुल रकबा 3.03 हैक्टयर का भी नामान्तरकरण अपने पुत्रों के नाम उक्त वसीयत के आधार पर खुलवाने का प्रयास किया परन्तु अपीलान्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के न्यायालय से स्थगन ले लिया जिसके कारण नामान्तरकरण नही हुआ। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 1 वर्ष 2011 में लम्बे समय तक बीमार रही व ऑपरेशन भी हुआ जिसके कारण अपीलान्ट्स के अभिभाषक श्री भंवरलाल शर्मा को ही पैरवी करने का कह रखा था जो कर भी रहे थे, दुर्भाग्यवंश उनका हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही हुई जिसके कारण उक्त दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 28.06.2011 को खारिज हो गया, जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने की कार्यवाही हो चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को जैसे ही उक्त दावें के खारिज होने की जानकारी मिली उन्होने तत्काल तहसीलदार चाकसू से सांठ–गांठ कर अवैध तरीके से उक्त चाकसू में स्थित भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने का आदेश प्राप्त कर लिया, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ था उससे यह तथ्य स्पष्ट था कि प्रश्नगत भूमि बाबत वाद विचाराधीन रहा है ऐसी स्थिति में पत्रावली खोली जाकर सभी पक्ष को विधि प्रक्रिया से तलब किया जाकर तदानुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिये था जबकि न तो पत्रावली खोली गई, ना ही पक्षकारन की तलबी की गई, मनमानी कार्यवाही कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश पारित कर दिया गया जो अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 08.11.2011 को कार्यालय टिप्पणी जो तहसीलदार चाकसू को पेश की गई उस पर तहसीलदार का यह आदेश अंकित है कि पटवारी हल्का सम्बन्धित से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेते हुए समस्त सम्बन्धित

वारिसान को नोटिस जारी कर बाद तामील प्रस्तुत करें, पुनः दिनांक 21.11.2001 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होना व वसीयत में अंकित वारिसों व गवाहों के नाम नोटिस जारी होना व वारिसान की सूची तहसीलदार सांगानेर से चाही गई अंकित किया है तत्पश्चात् दिनांक 28.12.2001 को आदेशिका में तामील प्राप्त नही होना लिखा गया, अंत तक वारिसों की सूची प्राप्त होने का या तामील का क्या हुआ इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है, ना ही पत्रावली पर नोटिस तामील शुदा या अदम तामील उपलब्ध है, इस बाबत कोई एकपक्षीय कार्यवाही का भी हवाला नही है फिर भी नामान्तरकरण खोलने का आदेश दे दिया जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलॉन्ट ने कथन किया है कि उक्त वसीयत बाबत न्यायालय श्रीमान् के न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.06.2006 में स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि पैतृक सम्पत्ति को बेचकर प्रश्नगत सम्पत्ति अर्जित की गई, एक विधवा को उसके जायज हकों से महरूम करने के लिऐ वसीयत निष्पादित की गई है, उक्त निर्णय की जानकारी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 6 को होते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालश से तथ्य छिपाकर अवैध आदेश पारित कराकर नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर खुलवा लिया जो अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य थे कि पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों मे वाद विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाना विधि सम्मत नही था, उसके बावजूद भी उक्त नामान्तरकरण के आदेश पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को जब उक्त नामान्तरकरण की जानकारी मिली तो अपीलान्ट ने संख्या 1 ने कई चक्कर अधीनस्थ न्यायालय के लगाये परन्तु कोई जानकारी नही दी गई तथा जब अपीलान्ट ने अनबन के लिऐ कहा तो मात्र 17.01.2012 की आदेशिका की नकल ही दी गई, शेष कार्यवाही की नकल नही दी, अपीलान्ट ने जब अपने अभिभाषक को उक्त नकल दी तो उन्होने कहा कि यह पर्याप्त नही है सम्पूर्ण पत्रावली की नकल लावें तब पुनः अपीलान्ट ने सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाही परन्तु अपीलान्ट को उक्त नकल नही दी गई, अपीलान्ट ने जब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को शिकायत की तो उनके कहने पर भी काफी परेशान कर नकल विलम्ब से दिनांक 28.08.2012 को दी गई जिसमें दिनांक पुरानी डाली गई ये सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की बदनियति को साबित करते है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व प्रश्नगत नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 16.06.2000 को स्व. छीतरमल करीब 85 वर्षीय बुजुर्ग थे जो पिछले 7–8 वर्षो से अंग सैथिल्य से ग्रसित होने से चल फिर नही सकते थे तथा चारपाई पर ही शौच क्रिया आदि करते थे, ज़ो व्यक्ति 7–8 वर्ष से एक जगह खाट में पड़ा हो वह ना तो शरीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से इस स्थिति में स्वस्थ रह सकता है कि वह वसीयत को समझे व निष्पादित करें यह फर्जी वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने

निरस्त होने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार स्व. श्री छीतरमल थे तथा उक्त आराजी स्व. श्री छीतरमल की स्वअर्जित आराजी है इसलिये उक्त आराजी की वसीयत, रहन, बेचान, दान इत्यादि किसी भी व्यक्ति को करने के कानूनी अधिकार स्व. श्री छीतरमल को कानूनन प्राप्त थे तथा उक्त स्व. श्री छीतरमल द्वारा अपने पौत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में एक वसीयत तहरीर व तकमील कराई गई है जो उप पंजीयक सांगानेर जिला जयपुर के यहाँ दिनांक 16.06.2000 को पंजीबद्ध कराई गई, ऐसी स्थिति में स्व. छीतरमल के फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर ही स्वीकार होने योग्य था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. छीतरमल द्वारा की गई उक्त वसीयत किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित नही की गई। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अशोक कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 8.11.2011 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत होने पर तहसीलदार चाकसू द्वारा समस्त वारिसान को नोटिस जारी करते हुऐ पटवारी हल्का की रिपोर्ट हेतु आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार चाकसू के पत्रांक 101174 दिनांक 21.11.11 द्वारा तहसीलदार सांगानेर से वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. श्री छीतरमल के वारिसान की सूची चाही गई थी जो अधीनस्थ न्यायालश को प्राप्त नही हुई तथा अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. श्री छीतरमल के समस्त वारिसान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसे कानूनन उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।